

यह आपको समझने में मदद करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज़ है।
औपचारिक दस्तावेज़ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रकाशित एक जापानीज दस्तावेज़ है।



साधारण क्षयरोग के उपचार के लिए सार्वजनिक (सरकारी) व्यय प्रणाली (अनुच्छेद ३७ दफा २)



9

लक्षित व्यक्ति

• जिनका इलाज क्षयरोग निर्विष्ट चिकित्सा संस्थान, मुख्य रूप से अस्पताल के वाहय सेवा से किया जाता है। और अन्य लोगों को संक्रमित होने की संभावना नहीं है।

• क्षयरोग के अलावा अन्य रोग के कारण अस्पताल भर्ती हो के क्षयरोगका भी इलाज किया गया व्यक्ति। रासायनिक उपचार विधि

★ लक्षित चिकित्सा व्यय (क्षयरोग संबंधित इलाज खर्च)

• रासायनिक उपचार विधि (दवाइ से इलाज) • सर्जिकल उपचार विधि (सर्जरी आदी) • Bone-Joint Tuberculosis के उपचार सामाग्री उपचार विधि • एक्स-रे • सीटी परीक्षण, क्षयरोग व्याक्टेरीया परीक्षण, साइड इफेक्ट पता लगाने के लिए परीक्षण (रक्त परीक्षण • नेत्र परीक्षण • नाक, कान और गलेका परीक्षण) आदी के इलाज खर्च।

• सर्जिकल उपचार विधि • Bone-Joint Tuberculosis के उपचार विधि से इलाज करने के लिए अस्पताल मे भर्ती होनेका भर्ती खर्चका एक हिस्सा और उपचार लागत।

(नोट) दर्ता शुल्क • पुन दर्ता शुल्क, परामर्श शुल्क, मेडिकल सर्टिफिकेट शुल्क • सहयोग शुल्क आदि सार्वजनिक व्यय से नहि व्यहोरेगे।


★ आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (चिकित्सा संस्थानसे सिधा सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रमे पेश किया जाएगा)

1 क्षयरोग उपचार खर्च के लिए सार्वजनिक व्यय आवेदन पत्र • निदान पत्र

2 एक्स-रे प्रत्यक्ष फोटोग्राफी (आवेदन के ३ महिने के भितर खिचा हुवा)

★ व्यक्तिगत खर्च रकम

लक्षित चिकित्सा व्ययके अन्तरगत, 95 प्रतिशत भार मरीज संलग्न बीमा और सरकारी खर्च से दाखिला किया जाएगा। बांकी के 5 प्रतिशतका भार मरीज स्वयंमको भर्ना पडता है।



“रोगी कार्ड” चिकित्सा संस्थानों और फर्माशी मे क्षयरोग के दवाइ लेने के समय प्रस्तुत किजिए।

उपचार खर्च के लिए सार्वजनिक व्यय [सार्वजनिक व्यय आवेदन पत्र] का सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से निर्णय हुए दिन से शुरु होगा।

पूछताछ और परामर्श . . .

